भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1159
जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

दिव्यांग मतदाता

1159. श्री के. मुरलीधरन :

श्री मोहम्मद फैजल पी.पी. :

श्री एंटो एन्टोनी :

एडवोकेट अदूर प्रकाश :

श्री कार्ती पी. चिदम्बरम :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) हाल ही में राज्य में हुए चुनावों में घर से मतदान करने का विकल्प चुनने वाले दिव्यांग मतदाताओं की राज्य-बार संख्या कितनी है ;

(ख) क्या निःशक्तता के प्रतिशत के आधार पर कुछ दिव्यांग मतदाताओं को इस सुविधा से वंचित कर दिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान भारत के निर्वाचन आयोग को दिव्यांग मतदाताओं अथवा ऐसे व्यक्तियों की देखभाल करने वालों को घर से मतदान की सुविधा प्रदान करने में विफलता के संबंध में राज्य-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है ?

उत्तर

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क) : भारत निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि उन दिव्यांगजन मतदाताओं की संख्या, जिन्होंने हाल ही में संचालित राज्य निर्वाचनों में घर से मतदान करने के विकल्प का चयन किया है, निम्न प्रकार है :--

क्र.सं.	**राज्य**	**दिव्यांगजन मतदाताओं की संख्या, जिन्होंने घर से मतदान करने के विकल्प का चयन किया है**
1.	छतीसगढ़	1,501
2.	मध्य प्रदेश	21,051
3.	मिजोरम	170
4.	राजस्थान	12,121
5.	तेलंगाना	9,961

(ख) : निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि दिव्यांगजनों के वर्ग में घर से मतदान करने के प्रयोजन हेतु अनुपस्थित मतदाताओं के लिए पात्रता मानदंड यह है कि ऐसा निर्वाचक, जिसे निर्वाचक नामावली डाटाबेस में इस प्रकार चिन्हित किया है और जिसके पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 के अधीन, संबंधित अधिप्रमाणन प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित कोई बेंचमार्क दिव्यांगता प्रमाणपत्र (विनिर्दिष्ट दिव्यांगता 40% से कम न हो) है ।

(ग) : निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि कर्नाटक राज्य से एक शिकायत प्राप्त हुई   थी ।

****